क्रम-संख्या–200

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 19, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1901/79-वि-1–18-1(क)-21-18
लखनऊ, 10 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम एवं विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा 2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(घ) "शीरा" का तात्पर्य गन्ना या गुड़ से शक्कर बनाने के दौरान उप उत्पाद के रूप में निकलने वाले गाढ़े, गहरे रंग के लसदार तरल द्रव्य, से है, जब उस तरल या उसके किसी रूप अथवा मिश्रण में शक्कर हो, जिसमें बी–हैवी मोलासेस सम्मिलित है।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के नियंत्रण, भण्डारण, श्रेणीकरण तथा कीमत और उसकी आपूर्ति एवं वितरण के विनियमन का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) अधिनियमित किया गया है। राज्यों में शीरे की पर्याप्त उपलब्धता के कारण, पेट्रोलियम आयातों को कम करने तथा विदेशी मुद्रा की बचत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी एथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ई0बी0पी0) हेतु शीरे से एथनाल (डिनेचर्ड एनहाइड्रस अल्कोहल) का उत्पादन करने के लिए योजना बनायी है और पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनाल मिश्रित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों से पर्याप्त एथनॉल का उत्पादन करने की प्रत्याशा कर रही है। बी–हैवी मोलासेस ऐसा मोलासेस है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक शर्करायुक्त अंश होते हैं। ऐसे समस्त संघटक, जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड–(घ) में शीरे की परिभाषा में सम्मिलित हैं, बी–हैवी मोलासेस में भी प्रयुक्त होते हैं। भविष्य में बी–हैवी मोलासेस से एथनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि शीरे की परिभाषा में बी–हैवी मोलासेस को सम्मिलित करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाए।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1901 (2)/LXXIX-V-1–18-1(ka)-21-18

Dated Lucknow, September 10, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 37 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2018.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

(U.P. Act No. 37 of 2018)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtyninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam,2018.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam,1964 for clause(d), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(d) "molasses" means the heavy, dark coloured viscous liquid produced as by-product during the manufacture of sugar from sugarcane or gur, when the liquid as such or in any form of admixture contains sugar including B-Heavy molasses."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (Uttar Pradesh Act No. 24 of 1964) has been enacted to provide for the control, storage, gradation and price of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof. Due to the ample availability of the molasses in the States, with a view to decreasing the petroleum imports and for saving foreign exchange, the Government of India has planned for the production of ethanol (Denatured Anhydrous Alcohol) from molasses for its ambitious Ethanol Blending Programme (E.B.P.) and a target of mixing 10 percent of ethanol in petrol has been set. To encourage this programme the Government of India is expecting from the State Governments to produce sufficient ethanol. B-Heavy Molasses is the molasses having more sugar contents. All the ingredients which are included in the definition of molasses in clause (d) of section 2 of the said Act, are also applied in B-Heavy molasses. With a view to encouraging production of ethanol from B-Heavy molasses in future, it has been decided to amend the said Act to include B-Heavy molasses in the definition of molasses.

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sansodhan) Vidheyak, 2018 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 250 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(677)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 87 सा0 विधायी–2018–(678)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।